कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक - 12 | जून 16-30, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-8

ऑपरेशन ब्लूस्टार की 38वीं बरसी पर :

स्वर्ण मंदिर पर सैनिक हमले से सबक

6 जून, 2022 को हिन्दोस्तानी सेना द्वारा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर किये गये हमले की 38वीं बरसी है। 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के नाम से किये गए उस हमले में सैकड़ों बेकसूर पुरुष, स्त्री और बच्चे मारे गए थे।

ऑपरेशन ब्लूस्टार का आरंभ 1 जून, 1984 को हुआ था। उसके अगले दिन पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया था। पंजाब की सरहदों को बंद कर दिया गया था। पंजाब में सेना की कम से कम 7 डिवीजनें तैनात की गई थीं। स्वर्ण मंदिर पर घेराबंदी कर दी गयी थी। सेना छः दिनों तक स्वर्ण मंदिर परिसर पर गोलियां चलाती रही। अंत में, 6 जून को सेना ने स्वर्ण मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के बहाने के साथ, स्वर्ण मंदिर के परिसर में प्रवेश किया।

स्वर्ण मंदिर पर हमला करने का आदेश क्यों दिया गया था? उसका असली मक़सद क्या था? उसे किस के हित के लिए किया गया था? यह ज़रूरी है कि लोग इन बातों को समझें, ताकि हम इस प्रकार की त्रासदियों को बार-बार होने से रोक सकें।

हमें याद रखना होगा कि धर्म स्थल पर सैनिक हमले का आदेश देने के उस - कभी न माफ़ किये जाने लायक - अपराध को जायज़ ठहराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार के सामने "कोई और चारा नहीं था"। सरकार ने दावा किया था कि उसे यह सूचना मिली थी कि स्वर्ण मंदिर में इकट्ठे हुए "सिख आतंकवादियों" ने आधुनिकतम हथियार इकट्ठे कर लिए थे और वे धर्म के आधार पर देशभर में बड़े पैमाने पर लोगों का क़त्लेआम करने की साज़िश रच रहे थे। अब यह साबित हो चुका है कि सरकार का वह बहाना सरासर झूठा था। बीते 38 वर्षों में उसका कोई सबूत नहीं दिया गया है।

यह सच नहीं है कि कुछ हथियारबंद गिरोह देशभर में सांप्रदायिक क़त्लेआम आयोजित करने की साज़िश रच रहे थे। वह हुक्मरान वर्ग और उसका राज्य ही थे, जो लोगों की एकता को तोड़ने के लिए ख़ास संप्रदायों को निशाना बनाकर उन पर हिंसा फैलाने की साज़िश रच रहे थे। उस घिनावनी साज़िश को अंजाम देने के लिए हुक्मरानों ने बरतानवी-अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ नज़दीकी से सांठगांठ बनाकर काम किया था। आगे की गतिविधियों से यही साबित हुआ है।

1980 का दशक एक ऐसा समय था जब देशभर में लोगों का असंतोष उभर कर आगे आ रहा था। देशभर में मज़दूर पूंजीवादी अतिशोषण के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे थे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और अन्य राज्यों के किसान अपनी फ़सल के लिए लाभकारी दामों की मांग कर रहे थे। पंजाब, असम, कश्मीर और अन्य राज्यों के लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों को पूरा करने की मांग उठाई जा रही थी। नदियों के पानी और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मुद्दों पर भी संघर्ष चल रहे थे।

बीते सालों में सरमायदारों ने "समाजवादी नमूने का समाज" बनाने तथा "ग़रीबी हटाओ", जैसे नारों के साथ मज़दूरों और किसानों को बेवकूफ़ बनाया था। सरमायदारों के ये पुराने नारे लोगों के गुस्से को ठंडा करने में अब क़ामयाब नहीं हो रहे थे। इजारेदार पूंजीवादी घराने इस प्रकार के नारे देकर, आज़ादी के समय से अपनी अमीरी को बढ़ा रहे थे, परंतु अब उन्हें न सिर्फ मज़दूरों और किसानों के विरोध, बल्कि कई अन्य संपत्तिवान तबकों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था।

वह ऐसा समय था जब राष्ट्रपति रोनल्ड रेगन के शासन में अमरीका तथा प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के शासन में ब्रिटेन खुलेआम दबाव डाल रहे थे कि पूंजी और सामग्रियों के निर्यात के मुक्त प्रवाह के लिए, सभी राष्ट्रों द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों को घटा दिया जाये और सभी देशों में सार्वजनिक सेवाओं को ख़त्म करके उनका निजीकरण किया जाए। सोवियत संघ घोर संकट में फंसा हुआ था। अफ़ग़ानिस्तान पर हमला करने से उसका यह संकट और भी बढ़ गया था। हिन्दोस्तान पर नियंत्रण करने और अपना वर्चस्व जमाने के लिए, दोनों महाशक्तियों के बीच की स्पर्धा तीखी हो रही थी।

देश के इजारेदार पूंजीवादी घरानों के सामने, हिन्दोस्तानी संघ पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने तथा साथ ही साथ, इन बदलते हालातों में एक नया रास्ता अपनाने की चुनौती थी। उन्हें अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, न सिर्फ मज़दूरों और किसानों के, बल्कि कुछ सम्पत्तिवान तबकों के, प्रतिरोध को भी कमज़ोर करने और कुचलने की ज़रूरत थी।

अपने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हिन्दोस्तान के हुक्मरान वर्ग ने एक पैशाचिक योजना को लागू किया। उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीक़े से अपने एजेंटों के ज़रिए जन आंदोलन के अंदर आतंकवाद फैला दिया। राज्य की खुफ़िया एजेंसियों ने अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के क़त्लेआम तथा बसों और बाज़ारों में प्रवासी मज़दूरों के क़त्लेआम को

शेष पृष्ठ 5 पर

मुंडका फैक्ट्री अग्निकांड के ख़िलाफ़ दिल्ली के मज़दूरों ने मुख्यमंत्री के आवास पर प्रदर्शन किया

2 जून, 2022 को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच की अगुवाई में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर एक ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया।

प्रदर्शन को अगुवाई देने वाले संगठन थे - सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू), आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), हिन्द मज़दूर सभा, मज़दूर एकता कमेटी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक), सेवा, आल इंडिया सेंट्रल कौंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (ए.आई.सी.सी.टी.यू.), ट्रेड यूनियन को-आर्डिनेशन सेंटर (टी.यू.सी.सी.), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एल.पी.एफ.), आल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (ए.आई.यू.टी.यू.सी.), यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू.टी.यू.सी.), इंडियन फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) और इंडियन कौंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियंस (आई.सी.टी.यू.)।

प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्से को प्रकट करते हुए ज़ोरदार नारे लगाये - 'औद्योगिक दुर्घटनाओं का ज़िम्मेदार कौन - दिल्ली सरकार जवाब दो!', 'क्या मज़दूरों की जानें

सस्ती हैं, और सुरक्षा उपकरण महंगे हैं?', 'औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए सरकारी एजेंसियां ज़िम्मेदार है!', 'मज़दूरों की जानों से खिलवाड़ करना बंद करो!', 'पीड़ित परिवारों को उचित मुआवज़ा दो!', 'मज़दूरों के हत्यारे दिल्ली सरकार और एम.सी.डी. जवाब दो!', 'पूंजीपति मालिकों और सरकारी एजेंसियों का गठजोड़ ही मज़दूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार है!', आदि। इन और अन्य नारों के प्लेकार्ड और बैनर भी मज़दूरों के हाथों में बुलंद थे ।

भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया। वक्ताओं ने मृत मज़दूरों के परिजनों के लिए मुआवज़े की मांग की तथा राज्य के अधिकारियों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पूरे राज्य प्रशासन को मुंडका अग्निकांड में मज़दूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए, प्रदर्शनकारी मज़दूरों ने सरकार से यह मांग की कि आवश्यक क़दम उठाये जायें ताकि इस प्रकार के अग्निकांड व औद्योगिक दुर्घटनाएं फिर कभी न हों तथा मज़दूरों के सभी अधिकार सुनिश्चित किये जायें।

ट्रेड यूनियनों की ओर से मुख्यमंत्री को इन मांगों सहित एक ज्ञापन सौंपा गया।

http://hindi.cgpi.org/22194

अंदर पढ़ें

- पूंजीवादी लालच बनाम सामाजिक आवश्यकता 2
- बी.ई.एम.एल. का निजीकरण मज़दूर व राष्ट्र-विरोधी है 3
- पवन हंस का निजीकरण 5
- स्टेशन मास्टरों का संघर्ष 6
- पाठकों की प्रतिक्रिया 6

पूंजीवादी लालच बनाम सामाजिक आवश्यकता

सभी मज़दूर, राष्ट्रीय संपत्ति और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह समाज के सामूहिक हितों के ख़िलाफ़ है। निजीकरण का यह कार्यक्रम लोगों की सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय, इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़े बनाने के सभी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके संकीर्ण हितों की सेवा करता है।

सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं के निजीकरण के ख़िलाफ़, हमारे देश में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। अलग–अलग राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों से जुड़े मज़दूर अपने सभी मतभेदों से ऊपर उठकर, निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष में एकजुट हो रहे हैं।

सरकार और बड़ी पूंजीवादी कंपनियों के प्रवक्ता यह दावा करते हैं कि सार्वजनिक उद्यम निक्कमे हैं और वे जनता के धन को बर्बाद कर रहे हैं। उनका दावा है कि उन्हें निजी मालिकी वाली कंपनियों को सौंपने से इन कंपनियों की कुशलता में सुधार होगा और इस प्रकार देश की पूरी आबादी को इसका फ़ायदा मिलेगा। वे इस बात पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं सहित किसी भी वस्तु का उत्पादन और आपूर्ति करना सरकार का काम नहीं है।

निजीकरण के पक्ष में किये जा रहे इस धूर्ततापूर्ण प्रचार को मज़दूर वर्ग जबरदस्त चुनौती दे रहा है।

भारतीय रेल, कोल इंडिया, राज्य बिजली बोर्ड, पेट्रोलियम और अन्य भारी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, आयुध कारखानों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के मज़दूर, इस हक़ीक़त को उजागर करने के लिए लड़ रहे हैं कि उनकी मेहनत, समाज की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत को पूरा कर रही है। वे अनेक विश्वासपूर्ण तर्कों की मदद से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब ऐसी सेवाएं नहीं हैं जिन्हें निजी मालिकों के लिए अधिकतम मुनाफ़े कमाने के इरादों से चलाया जाये।

जैसा कि रेल मज़दूरों ने बताने की कोशिश की है कि यदि रेल यात्रा सुविधा, ज्यादा से ज्यादा पूंजीवादी मुनाफ़े बनाने के लिए चलायी जायेगी तो इसका नतीजा यात्रियों की सुरक्षा की उपेक्षा होगी। इससे यात्री किराए में भी वृद्धि होगी और दूर–दराज के क्षेत्रों तक रेल यात्रा की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य की उपेक्षा होगी। रेल मज़दूरों के काम करने की हालतों और उनकी नौकरी की सुरक्षा पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। हम अपने अनुभव के आधार पर इस हक़ीक़त को दावे से पेश कर सकते हैं कि निजी इजारेदार कंपनियां नियमित मज़दूरों की छंटनी करेंगी और ठेका मज़दूरों के बढ़ते इस्तेमाल का सहारा लेंगी। इस समय भारतीय रेल नौकरी देने वाला देश का सबसे बड़ा स्रोत है, इसलिये इस क्षेत्र के निजीकरण का देश में रोज़गार की संख्या और गुणवत्ता दोनों पर एक बड़ा नकारात्मक असर पड़ेगा।

सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों में काम करने वाले कह रहे हैं कि उनके द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाएं, सभी के लिए सुलभ और सस्ती होनी चाहिएं। इनका काम होना चाहिये मेहनतकश लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। इन्हें अधिकतम मुनाफ़े के लिए इजारेदार पूंजीपतियों के हितों की सेवा की दिशा में उनके लिये ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े बनाने वाले उद्यामों में बदलने में नहीं किया जाना चाहिए।

लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले कर्मचारी यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम अपने मुनाफ़े को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों पर दबाव डालते हैं कि वे मरीजों को अनावश्यक जांच और परीक्षण करवाने की सलाह दें। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम अधिक पैसा कमाने के लिए रोगियों को आवश्यकता से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखते हैं। कोरोना वायरस जैसे संकट का सामना करने में, ये निजी अस्पताल और नर्सिंग होम समाज के लिए उस तरह का योगदान नहीं देते, जिस तरह से हमारे देश के सरकारी अस्पताल करते आये हैं। स्वास्थ्य देखभाल एक सामाजिक आवश्यकता है, जबकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफ़े बनाने के मक़सद से चलाये जा रहे निजी अस्पताल और नर्सिंग होम इन सभी सेवाओं को ग़रीब लोगों की पहुंच से बाहर कर देते हैं – जिनके पास इन निजी अस्पतालों का खर्च चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं।

सरकारी प्रवक्ताओं का आरोप है कि मज़दूरों को सिर्फ अपनी नौकरियों की चिंता है, देश के हितों की चिन्ता नहीं है। ये सरकारी प्रवक्ता इस सफेद झूठ को सच साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मज़दूर इस तरह की संकीर्ण सोच नहीं रखते हैं। हक़ीक़त तो यह है कि ये सरकारें ही अरबपति पूंजीपतियों के संकीर्ण हितों में काम करती हैं और करती आई हैं। सरकार, सामाजिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों को इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निजीकरण के कार्यक्रम को लागू कर रही है।

मूल अंतर्विरोध

वस्तुओं और सेवाओं के सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया का काम, समाज की ज़रूरतों और उसके विस्तारित प्रजनन को पूरा करना होना चाहिए। इस प्रक्रिया के ज़रिये, सभी के लिए सुरक्षित आजीविका और अधिकतम संभव समृद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए। यही आज के समय और इस युग का व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है। जाहिर है कि अधिकतम मुनाफ़े बनाने के लिए पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने का एजेंडा ही, सामाजिक आवश्यकताओं की निर्बाध आपूर्ति के प्रयासों में एक बहुत बड़ा रोड़ा है।

170 साल से भी अधिक पहले, कार्ल मार्क्स ने शोध करके यह खोजा था कि पूंजीवादी देशों में समय–समय पर होने वाले आर्थिक संकटों में फंसने का मूलभूत कारण, उत्पादन के सामाजिक चरित्र और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के निजी चरित्र के बीच का अंतर्विरोध है। दूसरे शब्दों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, अति उत्पादन की समस्या और इस तरह के संकट के बार–बार आने का मूल कारण है, सामाजीकृत उत्पादन प्रक्रिया पर अधिक से अधिक मुनाफ़े बनाने की पूंजीवादी लालच का हावी होना।

निजी मुनाफ़े बनाने के उद्देश्य से संचालित, प्रत्येक कंपनी अपने कर्मचारियों को दी गई मज़दूरी को "लागत" के रूप में देखती है, जिसे यथासंभव कम रखा जाता है। पूंजीपति नियोक्ताओं द्वारा "श्रम लागत" को कम से कम करने की कोशिश का संयुक्त प्रभाव मज़दूर वर्ग की क्रय शक्ति में गिरावट है। पूंजीवादी व्यवस्था में एक तरफ बाज़ार के लिये अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और दूसरी तरफ उन वस्तुओं के संभावित ख़रीदारों की क्रय शक्ति में उतनी बढ़ोतरी नहीं होती। यह इस व्यवस्था का मूलभूत चरित्र है। पूंजीवाद में अंतर्निहित यह प्रवृत्ति बार–बार अति उत्पादन के संकट की ओर ले जाती है, जब लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति न होने के कारण, पूंजीपति अपनी वस्तुओं को बेचने में असमर्थ हो जाते हैं और बाज़ार में उन वस्तुओं की मांग घट जाती है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि इन वस्तुओं की मांग में कमी इसलिए होती है क्योंकि उपभोक्ताओं के पास उन वस्तुओं को ख़रीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता – वे सब वस्तुयें उनकी पहुंच के बाहर हो जाती हैं।

हिन्दोस्तान की अर्थव्यवस्था का उदाहरण हमारे सामने है, जो कोरोना वायरस की महामारी आने से पहले ही संकट में थी। 2019 में ही, अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में उत्पादन धीमा हो रहा था या घट रहा था। बाज़ार में उन वस्तुओं और सेवाओं की पर्याप्त मांग नहीं है जिन्हें बेचकर पूंजीवादी कंपनियां मुनाफ़ा बना सकें। इसका कारण यह है कि मज़दूरों और किसानों, जो कि आबादी का बहुसंख्य हिस्सा हैं, उनकी क्रय शक्ति का नुकसान हुआ है। लालची इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों और किसानों का शोषण और लूट इस हद तक पहुंच गई है कि यह पूंजीवादी के और विकास के लिए एक बाधा बन गई है।

पूंजीवादी व्यवस्था के इस मूलभूत अंतर्विरोध को कैसे सुलझाया जा सकता है, इस प्रश्न का हल दुनिया के पहले समाजवादी देश सोवियत संघ में प्रस्तुत किया गया था। 1917 की अक्तूबर क्रांति की जीत के बाद के पहले दो दशकों में, सोवियत सरकार और आम लोगों ने उत्पादन के साधनों को लोगों की सामूहिक संपत्ति और किसान सहकारी समितियों की सामूहिक संपत्ति में बदल दिया था। सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र में से अर्थव्यवस्था का दिशा–निर्देश करने वाली पूंजीवादी लालच के हावी होने की भूमिका को समाप्त कर दिया गया।

सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के प्रमुख उद्देश्य के साथ, सोवियत लोगों और सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि सभी उपलब्ध संसाधनों का निवेश अधिक पौष्टिक भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पूरी आबादी की अन्य बुनियादी ज़रूरतों के उत्पादन में किया जाए। खपत के साधनों की बढ़ी हुई मात्रा के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी, लोहा और इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा और अन्य उत्पादन के साधनों को पर्याप्त मात्र में तैयार किया जाये। इस तरह सोवियत संघ में सामाजिक उत्पादन, एक समग्र योजना के अनुसार आयोजित किया गया था न कि चंद पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों को बनाने के लिए।

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, 1929 से शुरू हुये एक विशाल संकट से (जिसको ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जान जाता है) गुजरीं, जबकि सोवियत संघ की समाजवादी अर्थव्यवस्था ने निरंतर विकास किया। दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में सोवियत संघ बिना किसी संकट के और बिना किसी बेरोज़गारी की समस्या के विकसित हुआ और देश ने लगातार प्रगति की।

जब सभी उपलब्ध संसाधनों का समाज के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य साथ एक योजनाबद्ध तरीक़े से निवेश किया जाता है, तो इस तरह के निवेश और उत्पादन में विस्तार से बहुत बड़े पैमाने पर नए रोज़गार पैदा होते हैं। हिन्दोस्तान और अन्य पूंजीवादी देशों में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण है मुनाफ़े की भूखी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण। इजारेदार पूंजीपति अपनी पूंजी का तभी निवेश करते हैं जब उनके लिये अधिकतम मुनाफ़ा हासिल करने के हालात सुनिश्चित हों।

पिछले कई वर्षों से हिन्दोस्तानी इजारेदार घराने, भारी मुनाफ़ा कमा रहे हैं लेकिन वे देश के भीतर, उत्पादक क्षमता का विस्तार करने के लिए बहुत कम निवेश कर रहे हैं। वे अपने अधिकांश मुनाफ़े का उपयोग या तो विदेश में निवेश करने के लिए कर रहे हैं या देश के भीतर सट्टेबाजी की गतिविधियों में निवेश कर रहे हैं।

पूंजीवादी लालच ही अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी और बार–बार आने वाले संकटों का मूल कारण है। पूंजीवादी लालच के संचालन के क्षेत्र का और भी विस्तार करने का, निजीकरण और उदारीकरण का एजेंडा और भी अधिक गंभीर संकटों और बेरोज़गारी के असहनीय स्तरों तक पंहुचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

इजारेदार पूंजीपतियों के सुधार का एजेंडा

निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण का एजेंडा, हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य, इन इजारेदार पूंजीपतियों की ज़रूरतों के अनुरूप हिन्दोस्तान में पूंजीवादी विकास के रास्ते को बदलना है।

1947 में हिन्दोस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद, पूंजीवादी विकास का जो मार्ग अपनाया गया, वह भी उस समय के सबसे बड़े पूंजीवादी घरानों द्वारा ही निर्धारित किया गया था। हालांकि, जो नीतियां, क़ानून और नियम बनाए गए थे, वे उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल पूंजीवादी व्यवस्था के विकास के लिए ज़रूरी थे, जो वर्तमान परिस्थितियों से बहुत अलग थे।

1940 के दशक के मध्य में समाजवाद के लिए विश्व स्तर पर क्रांतिकारी संघर्ष आगे बढ़ रहा था। यूरोप के प्रमुख पूंजीवादी देशों में शासक पूंजीपति वर्ग सोशल डेमोक्रेसी नामक शासन की एक भ्रामक पद्धति का सहारा ले रहा था। मज़दूर वर्ग को क्रांति और समाजवाद के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए, पूंजीपति वर्ग ने सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों के विस्तार के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया। उनका उद्देश्य था – मज़दूर वर्ग को यह विश्वास दिलाना कि क्रांति के द्वारा हासिल की गयी समाजवादी अर्थव्यवस्था

शेष पृष्ठ 4 पर

भारत अर्थ मूवर्स का निजीकरण मज़दूर–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी

केरल के पलक्कड़ में, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) की इकाई के सैकड़ों मज़दूर, बी.ई.एम.एल. के निजीकरण के लिए उठाये गये सरकार के क़दम के ख़िलाफ़ 6 जनवरी, 2021 से आंदोलन कर रहे हैं। 24 मई, 2022 को 500 दिनों के अनिश्चितकालीन धरने को पूरा करने के बाद, उन्होंने एक विरोध सम्मेलन आयोजित किया और एक जन जागरुकता अभियान चलाया। उन्होंने इस हक़ीक़त को बार–बार और सही ढंग से उजागर किया कि उनका संघर्ष केवल अपनी नौकरियों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि जनता के धन की लूट का विरोध करने के लिए है। बी.ई.एम.एल. के अन्य सभी संयंत्रों के मज़दूर भी इसके निजीकरण का विरोध कर रहे हैं।

बी.ई.एम.एल. का निजीकरण करने के लिये फिर से उठाया गया सरकार का यह क़दम स्पष्ट दिखाता है कि एक सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण को सही ठहराने के लिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी तर्क झूठे हैं और इस हक़ीक़त को छिपाने के लिए हैं कि देशी और विदेशी इजारेदारों के हितों की सेवा करने के लिए ही निजीकरण किया जाता है।

बी.ई.एम.एल. की बड़ी संपत्ति और उसके लाभदायक उपक्रमों पर रक्षा क्षेत्र के बड़े इजारेदार पूंजीपतियों की नज़र रही है। 1964 में अपनी स्थापना के बाद से बी.ई.एम.एल. हमेशा ही लाभ कमाने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम रहा है। अनुमान है कि इसकी संपत्ति का मूल्य 65,000 करोड़ रुपये है। बी.ई.एम.एल. के पास सिर्फ बेंगलुरू और मैसूर में जो ज़मीन है उसकी क़ीमत ही 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

बी.ई.एम.एल. रक्षा क्षेत्र में एक रणनीतिक–महत्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है। यह मिसाइल लांचर, टैंक समुच्चय, बख़्तरबंद रिकवरी वाहन (ए.आर.वी.) और बख़्तरबंद मरम्मत और रिकवरी वाहन (ए.आर.आर.वी.), ब्रिजिंग सिस्टम, परिवहन ट्रेलरों आदि का निर्माण करता है। यही कारण है कि बी.ई.एम.एल. को रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया था। अपने अत्यधिक सक्षम कर्मचारियों के साथ, बी.ई.एम.एल. रक्षा निर्माण के क्षेत्र में ज़रूरी उपकरणों का निर्माण करके एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और रक्षा निर्माण के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों पर हिन्दोस्तान की निर्भरता को कम कर सकता है।

आज बी.ई.एम.एल. का कारोबार 3,500 करोड़ रुपये का है, जिसमें केवल रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों से प्राप्त 2,400 करोड़ रुपये के ऑर्डर शामिल हैं। वर्तमान में इसके पास लगभग 12,000 करोड़ रुपये के आर्डर हैं।

सरकार ने बी.ई.एम.एल. में केवल 23.56 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें 1964 में स्थापना के समय पर किया गया 6.56 करोड़ रुपये का निवेश भी शमिल है। जबकि बी.ई.एम.एल. ने शुद्ध लाभ के रूप में 350 करोड़ रुपये सरकार को दिये हैं। अगर सरकार ने अपने 46 प्रतिशत शेयर निजी संस्थाओं को नहीं बेचे होते तो शुद्ध लाभ की यह राशि और भी ज्यादा होती।

केंद्र सरकार ने 2016 में बी.ई.एम.एल. के निजीकरण की शुरुआत की थी, लेकिन मज़दूरों के सख़्त विरोध ने सरकार को, इस क़दम से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके प्रबंधन और नियंत्रण के साथ–साथ अपने 26 प्रतिशत शेयरों को एक निजी कंपनी को बेचने के अपने निर्णय की घोषणा सरकार ने 4 जनवरी, 2021 को की और इसका निजीकरण करने की फिर से शुरुआत की। बी.ई.एम.एल. के शेयरों को बेचने के बाद, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर अब केवल 54 प्रतिशत रह गई है।

फिलहाल टाटा मोटर्स, हिंदुजा ग्रुप के अशोक ले–लैंड और कल्याणी ग्रुप के भारत–फोर्ज जैसे बड़े समूहों के अलावा कुछ अन्य ख़रीदारों को बी.ई.एम.एल. के निजीकरण के लिए चुना गया है। ये सभी कंपनियां हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीवादी घरानों से संबंधित हैं और पहले से ही रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

शेयर बाज़ार में बी.ई.एम.एल. के शेयरों के मौजूदा मूल्य पर सरकार द्वारा 26 प्रतिशत शेयरों को बेचने का मतलब होगा कि एक इजारेदार कंपनी को केवल 1,500 करोड़ रुपये खर्च करके 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन और नियंत्रण मिल जाएगा!

किसी भी क़ीमत पर निजीकरण करने के केंद्र सरकार के इरादे, उस मूल्यांकन नीति से भी स्पष्ट होते हैं जिस नीति के ज़रिये वह किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का मूल्य तय करती है, यदि राज्य सरकार उस सार्वजनिक कंपनी का अधिग्रहण करना चाहती है। जब केरल की सरकार ने निजीकरण की योजना की घोषणा के बाद, बी.ई.एम.एल. की पलक्कड़ इकाई को लेने की अपनी इच्छा जाहिर की तब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से कहा कि वह ज़मीन की क़ीमत का भुगतान बाज़ार मूल्य के अनुसार करे, जबकि जब वही केंद्र सरकार निजी पूंजीपतियों को बेचने पर यह मानदंड लागू नहीं करती है और निजी पूंजीपति उसी संपत्ति को कौड़ियों के दाम पर ख़रीदते हैं।

बी.ई.एम.एल. का निजीकरण, पिछले 20 वर्षों से चरणबद्ध तरीक़े से रक्षा उत्पादन के निजीकरण की नीति का एक हिस्सा है। 2001 में रक्षा उत्पादन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था और 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई थी। 2016 में एफ.डी.आई. की सीमा का बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया गया और 2020 में 74 प्रतिशत कर दिया गया। इस क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक और क़दम जुलाई 2019 में उठाया गया था, जब सरकारी आयुध कारखानों द्वारा अब तक उत्पादित की जा रही 275 वस्तुओं को "नॉन–कोर" घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब है कि अब उन वस्तुओं को निजी क्षेत्र से ही ख़रीदा जा सकता है।

शेयरों की बिक्री के माध्यम से रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण भी कई वर्षों से किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.), भारत अर्थ–मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) आदि का आंशिक निजीकरण पहले ही किया जा चुका है। हिन्दोस्तान में रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और 2019–20 के दौरान लगभग 23 प्रतिशत पर पहुंच गयी है।

रक्षा उत्पादन के निजीकरण की दिशा में हाल ही में उठाया गया एक और बड़ा क़दम, आयुध कारखानों का निगमीकरण है।

मेट्रो ट्रेनों के लिए डिब्बों के निर्माण में रुचि रखने वाले इजारेदार पूंजीपति भी बी.ई.एम.एल. के निजीकरण में बहुत उत्सुक हैं क्योंकि हिन्दोस्तान में बी.ई.एम.एल. उनके लिए एकमात्र प्रतिस्पर्धी है और वह भी एक सार्वजनिक उपक्रम है। मज़दूरों द्वारा यह बताया गया है कि बी.ई.एम.एल. ने निर्माण शुरू करने और निर्माण के लिए टेंडर्स में उनके भाग लेने के बाद, विदेशी प्रतिस्पर्धियों को मेट्रो रेल कोच के लिए अपनी क़ीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ही बार में निजी कंपनियों को 16 करोड़ रुपये प्रति कोच से 8 करोड़ रुपये प्रति कोच के मूल्य पर आना

शेष पृष्ठ 4 पर

बी.ई.एम.एल. एक "मिनी–नवरत्न" – सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.), रक्षा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम है। इसे 1964 में रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से अलग करके, एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बनाया गया था और यह रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाता रहा है। यह हिन्दोस्तान के रक्षा मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व और संचालन में 1992 तक था, जब सरकार ने कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी का 25 प्रतिशत हिस्सा को बेच दिया।

कोलार गोल्ड फील्ड्स, बेंगलुरु, मैसूर और पलक्कड़ में बी.ई.एम.एल. की उत्पादन फैक्टरियां हैं। इसे सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा, उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए "उत्कृष्ट" की रेटिंग से भी पुरस्कृत किया गया है।

रक्षा के अलावा, एयरोस्पेस, रेल, बिजली, खनन और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बी.ई.एम.एल. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। बी.ई.एम.एल., अर्थ मूवर्स जैसे उपकरणों के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है और इस क्षेत्र में उसके पास हिन्दोस्तान के बाज़ार का 70 प्रतिशत हिस्सा है। यह कई क्षेत्रों जैसे कि खनन, निर्माण, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात और रेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई उपकरणों का उत्पादन करने में निपुण है। अर्थमूविंग उपकरणों में बुलडोजर, डंप ट्रक, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, व्हील लोडर, रस्सी फावड़े, चलने वाली ड्रैगलाइन, मोटर ग्रेडर और स्क्रेपर भी शामिल हैं।

बी.ई.एम.एल. को लगभग 85 प्रतिशत ऑर्डर, वैश्विक टेंडर्स में भाग लेकर और विदेशी और घरेलू बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मुक़ाबला करके और उन्हें एक कड़े मुक़ाबले में हराकर प्राप्त होते हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए बी.ई.एम.एल. ने 67 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात किया है, इसके ज़रिये केवल पिछले वर्ष के दौरान ही 280 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

पूंजीवादी लालच बनाम सामजिक आवश्यकता

पृष्ठ 2 का शेष

में जो सुविधाएं लोगों को मिलती हैं वे सब पूंजीवादी ढांचे के भीतर भी बिना किसी क्रांति के हासिल की जा सकती हैं।

हिन्दोस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता की संभावना जैसे–जैसे नजदीक आती गई, टाटा, बिरला और अन्य हिन्दोस्तानी पूंजीवादी घरानों ने उपनिवेशवाद के बाद के विकास की योजना बनानी शुरू की, जो उस समय उनके हितों के लिए सबसे उपयुक्त थी। वे उस समय हिन्दोस्तान को एशिया में एक शक्तिशाली औद्योगिक और सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने और उसका नेतृत्व करने का सपना देख रहे थे। हालांकि, उस समय उनके पास मशीन निर्माण उद्योग या पर्याप्त स्टील और बिजली नहीं थी। उनकी अपनी पूंजी उन बड़े निवेशों का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता थी।

तब बड़े पूंजीपतियों ने फ़ैसला किया कि सार्वजनिक धन का उपयोग भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे के सार्वजनिक क्षेत्र को बनाने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया, ताकि वे स्वयं उन बाज़ारों पर हावी हो सकें और अधिकतम मुनाफ़ा हासिल कर सकें। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के पूरे ढांचे का विस्तृत वर्णन 1944–45 में प्रकाशित किये गये बाम्बे प्लान नामक एक विजन–डॉक्यूमेंट में था, जिसे जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिड़ला के नेतृत्व में बड़े पूंजीपतियों के प्रमुख प्रतिनिधियों ने तैयार किया था।

1951–65 की अवधि के दौरान देश की पहली तीन पंचवर्षीय योजनाएं बाम्बे प्लान पर आधारित थीं। उस समय की सामाजिक–लोकतांत्रिक शैली में पूंजीवादी उद्योग को विकसित करने के लिए, राज्य पर निर्भर रहने की रणनीति को नेहरू की अध्यक्षता वाली कांग्रेस पार्टी ने "समाजवादी नमूने का समाज" बनाने के एक एजेंडे के रूप में पेश किया था। पूंजीवादी विकास की योजना को एक समाजवादी एजेंडे के रूप में पेश करके उन सभी मज़दूरों और किसानों को गुमराह किया गया, जिनके दिल में देश में समाजवाद स्थापित करने की तमन्ना थी।

बड़े पूंजीवादी घरानों की निजी कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र से बहुत लाभ हुआ – उन्हें रियायती क़ीमतों पर इस्पात, कोयला, बिजली और रेल परिवहन की आपूर्ति और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूरी बुनियादी ढांचे की गारंटी मिली। उन्हें उपभोग और परिवहन के साधनों के आयात पर सरकार द्वारा लगाये गए प्रतिबंधों से लाभ हुआ। उदाहरण के लिए कारों, बसों और ट्रकों के बाज़ार में टाटा मोटर्स और बिड़ला की हिन्दुस्तान मोटर्स का दबदबा था। उनके फ़ायदे के लिए ही, आयातित वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था या आयातित वाहनों पर बहुत अधिक आयात शुल्क वसूल करने का प्रावधान किया गया था।

1960 और 1970 के दशक के दौरान, पूंजीवादी विकास के एजेंडे को और आगे ले जाने के लिए राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था में आवश्यक हस्तक्षेप को और भी विकसित किया गया, जिसमें हरित क्रांति के झंडे तले पूंजीवादी खेती और ग्रामीण बाज़ारों के विस्तार को बढ़ावा देने जैसे उपाय शामिल थे।

1980 का दशक एक ऐसा दशक था, जब ब्रिटेन में सार्वजनिक संपत्ति और सेवाओं के निजीकरण के लिए बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री थैचर ने किया था। राष्ट्रपति रीगन के नेतृत्व में अमरीकी राज्य ने राष्ट्रीय प्रतिबंधों को कम करने और दुनिया के सभी बाज़ारों को पूंजी और वस्तुओं के लिए सभी रुकावटों से मुक्त बाज़ार खोलने के लिए ज़रूरी क़दमों को लागू करने के लिए आक्रामक रूप से ज़ोर देना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में पूंजीवादी सुधारों की शुरुआत की। आयात और विदेशी पूंजी निवेश के लिए घरेलू बाज़ार खोलने के लिए हिन्दोस्तान भी विश्व बैंक और आई.एम.एफ. के बढ़ते दबाव में आ गया।

सोवियत संघ के विघटन के साथ–साथ विश्व स्तर पर होने वाले बड़े और अचानक परिवर्तनों के साथ 1990 के दशक की शुरुआत हुई। विश्व क्रांति का प्रवाह ज्वार से भाटे (उतार) में बदल गया। सभी देशों के पूंजीपतियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि समाजवाद फेल हो गया है और "बाज़ार उन्मुख अर्थव्यवस्था" से बेहतर कुछ भी नहीं है। जिसका मतलब है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जो पूंजीपतियों के निजी मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए वचनबद्ध हो और जिसका उद्देश्य हो देशी और विदेशी पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को बढ़ाने के लिए सभी उपाय उपलब्ध कराना। उन्होंने ज़ोर देकर यह भी कहना शुरू कर दिया कि जो पूंजीपतियों के लिए सबसे अच्छा है वही पूरे देश की प्रगति के लिए भी सबसे अच्छा है।

1991 से शुरू करके, इजारेदार घरानों के नेतृत्व में हिन्दोस्तानी शासक वर्ग ने समाजवादी नमूने के समाज के निर्माण के ढोंग का खुलेआम त्याग करना शुरू कर दिया। उन्होंने निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के नुस्ख़े को पूरी तरह से अपना लिया।

सार्वजनिक क्षेत्र का इस्तेमाल करके निजी पूंजी पर आधारित अपने औद्योगिक साम्राज्य का निर्माण कर लेने के बाद हिन्दोस्तानी इजारेदार घरानों ने फ़ैसला किया कि समय आ गया है कि वे अपने निजी औद्योगिक साम्राज्यों का और विस्तार करें, जिसके लिए सार्वजनिक संपत्ति को भी कौड़ियों के दाम हड़प लें। विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करके अपने औद्योगिक आधार का निर्माण कर लेने के बाद, उन्होंने यह भी फ़ैसला किया कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अर्थव्यवस्था पर से सभी प्रतिबंधों को हटाने का समय आ गया है। वे चाहते थे कि हिन्दोस्तान की सरकार आयात और विदेशी पूंजी निवेश के लिए घरेलू बाज़ार को खोले और विदेशी सरकारें हिन्दोस्तान से निर्यात करने और पूंजी निवेश के लिए अपने बाज़ार खोलें।

संक्षेप में, हिन्दोस्तान में ब्रिटिश उपनिवेशवादी व्यवस्था ख़त्म होने बाद से, हिन्दोस्तान की सरकार की सभी नीतियों, क़ानूनों और विनियमों की प्रमुख प्रेरणा और उद्देश्य, देश के सबसे अमीर इजारेदार पूंजीवादी घरानों के निजी मुनाफ़ों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ही रहा है।

प्रारंभिक दशकों में राज्य के स्वामित्व वाले भारी उद्योग, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और बीमा कंपनियों के निर्माण और विस्तार की नीति ने देश में औद्योगीकरण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, पूंजीवाद के लिए घरेलू बाज़ार का विस्तार करने और इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम लाभ की गारंटी देने का काम किया। वर्तमान में निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के एजेंडे के द्वारा, आज के हालातों में इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम एकाधिकार मुनाफ़े सुनिश्चित करने के प्रयास जारी है।

निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण का एजेंडा है क्रांति और समाजवाद की लहर में उतार की हालतों का फ़ायदा उठाना तथा सर्वहारा वर्ग और सभी मेहनतकश लोगों के ख़िलाफ़ बेलगाम हमले करना। इसका उद्देश्य इजारेदार कंपनियों और वित्तीय संस्थानों द्वारा मज़दूरों के शोषण को और भी तेज़ करना, छोटे उत्पादकों और लोगों की लूट को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। इसका उद्देश्य उन सभी अधिकारों को कुचलना है जिन अधिकारों को लोगों ने 20वीं शताब्दी में अपने लगातार संघर्ष के ज़रिये जीता है।

असली विकल्प

पूरी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का क्रांतिकारी कार्यक्रम ही वर्तमान निजीकरण और उदारीकरण का एकमात्र असली विकल्प है। यह क्रांतिकारी कार्यक्रम, निजी मुनाफ़ों को अधिकतम करने और पूंजीवादी लालच को पूरा करने के उद्देश्य को बदलकर, एक नयी दिशा प्रदान करने का कार्यक्रम है – जिसका उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिकतम करना होगा – हर संभव प्रयत्न लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

हिन्दोस्तान की आज़ादी के प्रारंभिक दशकों में विकास के जिस रास्ते को अपनाया गया, उसका मक़सद सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं था। अधिकतम निजी मुनाफ़े बनाना ही उसका भावी मक़सद था। सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण और विस्तार तभी तक किया गया जब तक कि वह इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हितों के अनुकूल था। हाल के दशकों में सार्वजनिक उद्यमों और सेवाओं को जानबूझकर कमजोर और बर्बाद किया जा रहा है। यह राज्य के स्वामित्व वाले इन उद्यमों और सेवाओं को इजारेदार घरानों को सौंपने के इरादों को सही ठहराने के लिए किया जा रहा है, ताकि पूंजीपतियों के निजी साम्राज्यों का तेज़ी से विस्तार हो सके।

मज़दूर वर्ग का लक्ष्य है सामाजिक उत्पादन पर हावी निजी लालच की भूमिका को समाप्त करना। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की पूरी व्यवस्था सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर उन्मुख होनी चाहिए। यह निष्कर्ष, विश्व स्तर पर बुर्जुआ वर्ग के ख़िलाफ़ सर्वहारा वर्ग के संघर्ष के केंद्र में है। यह पूंजीवाद के ख़िलाफ़ समाजवाद का संघर्ष है – दो विरोधी सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच का संघर्ष।

हमारे संघर्ष का तात्कालिक उद्देश्य, निजीकरण और उदारीकरण के ज़रिये वैश्वीकरण के समाज–विरोधी एजेंडे को रोकना है। हालांकि, हमारा संघर्ष इस एजेंडे को रोकने तक ही सीमित नहीं है। हमें सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य को सामाजिक उत्पादन व्यवस्था को संचालित करने वाली प्रमुख प्रेरणा बनाने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, पूंजीवादी लालच को दबाना होगा।

बड़े पैमाने पर उत्पादन के साधनों की मालिकी और नियंत्रण का सामाजीकरण, वर्तमान निजीकरण के कार्यक्रम का असली विकल्प है। मज़दूर वर्ग को किसानों और अन्य सभी उत्पीड़ित जनता के साथ मिलकर राजनीतिक सत्ता हासिल करने के संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए। मज़दूरों और किसानों के नए राज्य को, बड़े पैमाने पर उत्पादन और विनिमय के साधनों को पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के बजाय, पूरी जनता की सामाजिक संपत्ति में बदलना होगा। तभी सामाजिक उत्पादन और वितरण को एक योजनाबद्ध तरीक़े से आयोजित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य पूरी आबादी की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों की अधिकतम संभव पूर्ति करना होगा। यह मज़दूर वर्ग के आंदोलन का रणनीतिक उद्देश्य है।

http://hindi.cgpi.org/22213

बी.ई.एम.एल. का निजीकरण ...

पृष्ठ 3 का शेष

पड़ा! मज़दूरों ने बताया कि केवल इसके ज़रिये ही सरकार को मेट्रो रेल कोच के अब तक दिए गए ऑर्डर के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये की बचत होती! बी.ई.एम.एल. का निजीकरण निजी इजारेदारों को फिर से मेट्रो कोच की क़ीमतें बढ़ाने की छूट देगा।

केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर 50 शहरों में मेट्रो रेल व्यवस्था स्थापित कर रही है। इससे 5 हजार से ज्यादा मेट्रो कोचों की ज़रूरत होने की संभावना है। इस तरह, बी.ई.एम.एल. को हासिल करके निजी मालिक इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपने एकाधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

पलक्कड़ प्लांट की सभी यूनियनों ने मिलकर, एक बी.ई.एम.एल. एक्शन काउंसिल बनाकर सरकार के देश–विरोधी, मज़दूर–विरोधी निजीकरण के कार्यक्रम का विरोध किया है। उनकी काउंसिल को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों – सीटू, इंटक और एटक से भी समर्थन प्राप्त हुआ है। पलक्कड़ के लोगों से उन्हें मिले समर्थन ने केरल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ–साथ केरल के मुख्यमंत्री को भी उनके संघर्ष का खुलकर समर्थन करने के लिए मजबूर किया है। उन्हें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मज़दूरों का समर्थन भी मिला है जो निजीकरण के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं।

मज़दूर एकता लहर, बी.ई.एम.एल. के मज़दूरों के इस न्यायसंगत संघर्ष का दिल से समर्थन करती है। निजी पूंजीपतियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति की इस लूट का सभी हिन्दोस्तानी लोगों को विरोध करना चाहिए। रक्षा क्षेत्र के और अधिक निजीकरण की अनुमति देने से हमारे लोगों की सुरक्षा और ख़तरे में पड़ जाएगी, क्योंकि यह निजी पूंजीपतियों को अपने मुनाफ़े बनाने के लिए, उन नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो हमारी अर्थव्यवस्था के और अधिक सैन्यीकरण को बढ़ावा देगी।

http://hindi.cgpi.org/22174

पवन हंस के निजीकरण का विरोध करें!

29 अप्रैल, 2022 को मंत्रीमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने पवन हंस लिमिटेड (पी.एच.एल.) में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी को ख़रीदने के लिए स्टार–9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगाई गई 211 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी। पी.एच.एल. राज्य की मालिकी वाली हेलीकॉप्टर सेवा है। स्टार–9 मोबिलिटी तीन कंपनियों – महाराजा एविएशन, बिग चार्टर और अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड का एक संघ है।

दो हफ़्ते बाद, 16 मई को केंद्र सरकार ने पवन हंस में अपने हिस्से की बिक्री पर रोक लगाने के फ़ैसले की घोषणा कर दी। इसका कारण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एन.सी.एल.टी.) की कोलकाता बेंच द्वारा अल्मास ग्लोबल नाम की केमैन आइलैंड स्थित कंपनी के बारे में उठाई गई आपत्तियां हैं। एन.सी.एल.टी. के अनुसार, अल्मास ग्लोबल जो कोलकाता स्थित दिवालिया हो गई कंपनी, ई.एम.सी. लिमिटेड का अधिग्रहण कर रही थी, एक स्वीकृत समाधान योजना के तहत ई.एम.सी. लिमिटेड के लेनदारों के 568 करोड़ रुपये का भुगतान करने में विफल रही थी।

सरकार ने अब घोषणा की है कि वह पवन हंस की बिक्री में आगे बढ़ने से पहले "एन.सी.एल.टी. के आदेश की क़ानूनी जांच करेगी"।

पवन हंस एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसकी स्थापना 1985 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) की मालिकी में एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुई थी। यह देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता है।

पवन हंस के पास 43 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है (सूचना है कि इनमें से 37 के चालू अवस्था में हैं) जो कई महत्वपूर्ण सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका उपयोग तेल और गैस कंपनियों के अपतटीय संचालन में किया जाता है।

पवन हंस हेलीकॉप्टर ने लक्षद्वीप में कोविड वैक्सीन के 3,000 टीके पहुंचाए

यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के बीच लोगों के परिवहन के लिये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। यह अरुणाचल प्रदेश के कई दूरस्थ और दुर्गम हिस्सों को और हिन्दोस्तान के उत्तर–पूर्व में अन्य राज्यों, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह पर्यटकों के साथ–साथ सरकारी कर्मियों की सेवा भी करता है।

पवन हंस प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खोज और बचाव कार्यों के लिए अपने हेलीकॉप्टरों को प्रदान करता है, सीमा सुरक्षा बल और सीमा सड़क संगठन के लिए कर्मियों और सामग्री का परिवहन करता है, यह पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, और यह न केवल ओ.एन.जी.सी., बल्कि गेल और ऑयल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइनों की निगरानी करने में भी मदद करता है। पवन हंस के हेलीकॉप्टरों को सुरक्षा बलों द्वारा नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

इससे पहले, 14 मई को अखिल भारतीय नागरिक उड्डयन कर्मचारी संघ ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका देकर अपील की थी कि पी.एच.एल. में सरकार की 51 प्रतिशत की संपूर्ण हिस्सेदारी की प्रस्तावित रणनीतिक बिक्री को रोका जाये।

उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुये, कर्मचारी संघ ने ज़ोर देकर कहा कि पी.एच.एल. लगातार एक आवश्यक सेवा की भूमिका निभा रहा है, इसलिए इसका निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और कुछ अन्य क्षेत्रों में लोगों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले पवन हंस द्वारा वर्तमान में प्रदान की जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं की लागत पर भारी सब्सिडी दी जाती है। पवन हंस का निजीकरण, इन सेवाओं को एक ही झटके में अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर कर देगा।

पवन हंस लिमिटेड 2017–18 तक नियमित रूप से मुनाफ़ा कमा रहा था। पी.एच.एल. ने लगातार राज्य के लिए राजस्व अर्जित किया है और देश को महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की है। पी.एच.एल. ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सरकार और ओ.एन.जी.सी. को अब तक 245.51 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, इसके अलावा इसकी कुल संपत्ति 984 करोड़ रुपये है।

जनवरी 2017 में सरकार ने पवन हंस लिमिटेड के निजीकरण की अपनी योजना की घोषणा की थी। तब से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और पी.एच.एल. का प्रबंधन इसे बर्बाद करने का रास्ता अपना रहे हैं, इसे घाटे में चलने वाले उद्यम में बदल रहे हैं ताकि इसे किसी निजी कंपनी को संभावित न्यूनतम से न्यूनतम क़ीमत पर बेचने का औचित्य सिद्ध किया जा सके।

कर्मचारियों ने घोषणा की है कि पी.एच.एल. की बिक्री का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण सेवा को एक ऐसी कंपनी को बेचने का विरोध किया है जिसके पास पी.एच.एल. द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने की वाली कोई संपत्ति या क्षमता नहीं है।

शासक वर्ग के निजीकरण के कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक उत्पादन के सभी क्षेत्रों को इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने के अभियान के अधीन करना है। पी.एच.एल. के निजीकरण का उद्देश्य भारतीय रेल, कोल इंडिया, राज्य बिजली बोर्डों, पेट्रोलियम और अन्य भारी उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, आयुध कारखानों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण के समान ही है। इसका उद्देश्य है सामाजिक आवश्यकता की क़ीमत पर पूंजीवादी लालच को पूरा करना। यह पूरी तरह से मज़दूरों के हितों के साथ–साथ राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के ख़िलाफ़ है।

शासक वर्ग के निजीकरण के कार्यक्रम को हराने के संघर्ष के हिस्से के रूप में, सभी क्षेत्रों के मज़दूरों को पवन हंस लिमिटेड के निजीकरण का विरोध करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22168

ऑपरेशन ब्लूस्टार ...

पृष्ठ 1 का शेष

अंजाम दिया, और फिर उनके लिए सिखों को दोषी ठहराया। जिस समुदाय के लोगों को हिन्दोस्तान का रक्षक बताकर सराहा जाता था, अब उन्हें देश का दुश्मन बताया जाने लगा। उन्हें आतंकवादी, रूढ़ीवादी, अलगाववादी, इत्यादि करार दिया गया। बरतानवी–अमरीकी साम्राज्यवाद और हिन्दोस्तान के हुक्मरान वर्ग ने मिलजुल कर इस अभियान को अंजाम दिया। मार्गरेट थैचर की ब्रिटिश सरकार की खुफ़िया एजेंसियों ने हिन्दोस्तानी खुफ़िया एजेंसियों के साथ मिलकर, गुप्त रूप से काम करके, स्वर्ण मंदिर पर हमले की योजना बनाई थी।

हुक्मरान वर्ग ने स्वर्ण मंदिर पर हमले की निंदा करने वाले सभी लोगों पर यह झूठा इल्जाम लगाया कि वे आतंकवाद के समर्थक हैं और राष्ट्रीय एकता के दुश्मन हैं। इसके साथ ही साथ, हुक्मरानों ने नवंबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को बहाना बनाकर, सिखों के जनसंहार को आयोजित किया था तथा अंजाम दिया था।

सभी धर्मों के लोग राज्य द्वारा आयोजित इस जनसंहार के पीड़ितों की हिफ़ाज़त करने के लिए आगे आये। राजकीय आतंकवाद और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा के ख़िलाफ़ जन–विरोध को कुचलने के लिए, राज्य ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम (टाडा) को पास किया। उस क़ानून के अनुसार, तथाकथित संदिग्ध आतंकवादियों को मनमानी से गिरफ़्तार करना और अनिश्चित काल तक उन्हें बंद रखना, इसे वैध घोषित कर दिया गया।

हुक्मरान वर्ग को बहुत डर है कि हिन्दोस्तान के लोग अपने धार्मिक और अन्य भेदभावों को एक तरफ करके, अपने सांझे दुश्मन के ख़िलाफ़, अपने सांझे लक्ष्य के लिए, एकजुट हो जाएंगे। इसे रोकने के लिए हुक्मरान वर्ग ने राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंकवाद को फैलाने के तौर–तरीक़ों में कुशलता हासिल कर ली है। अलग–अलग समय पर राज्य अलग–अलग समुदायों को निशाना बनाता है। पहले तो निशाना बनाए गए समुदाय के ख़िलाफ़ राज्य बहुत ही जहरीला प्रचार फैलाता है और उसके बाद, बड़े सुनियोजित तरीक़े से उस समुदाय पर हमले करवाता है। उसके बाद राज्य यह झूठा प्रचार फैलाता है कि अलग–अलग धर्मों के लोग एक दूसरे का क़त्ल कर रहे हैं।

आज हिन्दोस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, उसमें एक तरफ इजारेदार पूंजीपतियों की अगुवाई में मुट्ठीभर शोषक हैं, और दूसरी तरफ, मज़दूर वर्ग की अगुवाई में शोषित जनसमुदाय है। ऑपरेशन ब्लूस्टार का मक़सद था हमारे लोगों की एकता को ख़त्म कर देना और शोषण–दमन के ख़िलाफ़ हमारे संघर्ष को चकनाचूर कर देना।

हुक्मरान वर्ग की राजनीतिक पार्टियां यह ग़लत सोच फैलाती हैं कि सांप्रदायिक हिंसा के लिए इजारेदार पूंजीपति और उनका राज्य नहीं, बल्कि कोई ख़ास राजनीतिक पार्टी ज़िम्मेदार है। यह सोचना ग़लत होगा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही ऑपरेशन ब्लूस्टार और 1984 में सिखों के जनसंहार को आयोजित किया था। इसी तरह, यह सोचना भी ग़लत है कि सिर्फ़ भाजपा और आर.एस.एस. ही इस समय सांप्रदायिक हिंसा और सभी प्रकार के राजकीय आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार हैं। यह हुक्मरान वर्ग का एजेंडा है कि लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटा जाए, इस या उस धर्म का हव्वा खड़ा किया जाए, ताकि राजकीय आतंकवाद को जायज़ ठहराया जा सके। हुक्मरान वर्ग जिस पार्टी को सरकार चलाने का काम सौंपता है, उस पार्टी को यह एजेंडा लागू करना पड़ता है।

हिन्दोस्तानी लोगों की एकता के लिए ख़तरा इस या उस धर्म के लोगों के रूढ़ीवादी विचारों से नहीं है। हमारे लोगों की एकता को ख़तरा पंजाब, असम, कश्मीर, मणिपुर, तमिलनाडु या किसी और जगह के लोगों के अपने राष्ट्रीय अधिकारों के लिए किये जा रहे संघर्ष से नहीं है। हमारे लोगों की एकता को ख़तरा शोषण और दमन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले मज़दूरों और किसानों से नहीं है। हमारी एकता को ख़तरा है हुक्मरान वर्ग और उसके राज्य से और साम्राज्यवाद से। हमारी एकता को ख़तरा इस बात से है कि हिन्दोस्तानी राज्य सामंतवाद और उपनिवेशवाद के अवशेषों तथा पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की हिफ़ाज़त करता है। हमारी एकता को ख़तरा इस बात से है कि हिन्दोस्तानी राज्य की बुनियादें ही सांप्रदायिक हैं।

जब तक यह राज्य मौजूद रहेगा, तब तक यह हमारे लोगों की एकता और शोषण–दमन व अन्याय के ख़िलाफ़ हमारे एकजुट संघर्ष के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बना रहेगा। ऑपरेशन ब्लूस्टार के बाद के 38 वर्षों का अनुभव बार–बार यही साबित करता है। सरमायदारों की हुक्मशाही का वर्तमान राज्य 'बांटो और राज करो' के असूल पर आधारित है। इसलिए, हमारे संघर्ष का लक्ष्य सरमायदारों के राज्य की जगह पर एक नया राज्य स्थापित करना है, जो सबको सुख–सुरक्षा की गारंटी देगा और जिसमें सभी लोगों के मानव अधिकारों तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की हिफ़ाज़त की जाएगी।

http://hindi.cgpi.org/22209

कामगार एकता कमेटी ने रेल मज़दूरों की यूनियनों की जनसभा आयोजित की :

भारतीय रेल के स्टेशन मास्टरों के संघर्ष के समर्थन में

29 मई, 2022 को कामगार एकता कमेटी (के.ई.सी.) ने भारतीय रेल के स्टेशन मास्टरों के संघर्ष के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया। रेल मज़दूरों की यूनियनों, फेडरेशनों तथा रेलवे में विभागों के अनुसार बने संगठनों को बड़ी संख्या में मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। के.ई.सी. के महासचिव कामरेड मैथ्यू ने वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और के.ई.सी. के संयुक्त सचिव, कामरेड अशोक कुमार से इस जनसभा का संचालन करने के लिए अनुरोध किया।

ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.) के नेताओं के अलावा, इस जनसभा को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.), ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (ए.आई.जी.सी.), ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन (ए.आई.टी.सी.ए.), ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (ए.आई.आर.टी.यू.), ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (ए.आई.पी.एम.ए.), इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (ए.आई.टी.सी.एस.ओ.), इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन्स ऑर्गनाइजेशन (आई.आर.एल.आर.ओ.), लोक राज संगठन और पुरोगामी महिला संगठन के नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया।

अधिकांश स्टेशन मास्टर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.) के बैनर तले संगठित हैं। ए.आई.एस.एम.ए., स्टेशन मास्टरों की सेवा शर्तों से संबंधित तथा लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों (बॉक्स देखें) के समाधान के लिए संघर्ष करती आ रही है। स्टेशन मास्टरों ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिये अधिकारियों को पत्र लिखे, ज्ञापन दिये, कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किये, काले बैज लगाकर काम किया और रात की पाली में काम करते समय मोमबत्तियां जलाईं। रेल सेवाएं प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करते हुए उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा है। हालांकि, अधिकारियों ने उनकी मांगों को अनदेखा व अनसुना किया है और उन्होंने स्टेशन मास्टरों की शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इन परिस्थितियों में ए.आई.एस.एम.ए. ने 31 मई, 2022 को एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया था। उन्होंने यात्रियों को इस बात की चेतावनी देने का ध्यान भी रखा था ताकि उनकी हड़ताल से लोगों को कम से कम असुविधा हो।

कामरेड धर्मवीर सिंह अरोड़ा (ए.आई.एस.एम.ए. के मध्य रेलवे के जोनल अध्यक्ष) ने स्टेशन मास्टरों की हड़ताल की आह्वान के समर्थन में के.ई.सी. द्वारा आयोजित इस जनसभा के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने सभी यूनियनों और फेडरेशनों को धन्यवाद दिया। स्टेशन मास्टर हड़ताल के अपने आह्वान को ज़रूर लागू करेंगे, इस डर के कारण रेलवे प्रबंधन को ए.आई.एस.एम.ए. के साथ, उनकी मांगों पर बातचीत करने के लिए सहमत होना पड़ा। बातचीत का पहला दौर 23 मई को आयोजित किया गया था और अगले दौर की बातचीत के लिये 30 मई का दिन निर्धारित किया गया था। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, ए.आई.एस.एम.ए. ने 31 मई की हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया।

कामरेड अरोड़ा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्टेशन मास्टरों का संघर्ष सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का संघर्ष है क्योंकि रेलवे के सभी कर्मचारी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्टेशन मास्टरों ने खाली पड़े पदों के मुद्दे को उठाने का फ़ैसला किया, क्योंकि यह मुद्दा सभी कर्मचारियों को प्रभावित करता है। हालांकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई क़दम नहीं उठाए जा रहे हैं। स्टेशन मास्टरों के लगभग 20 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं; लगभग 6,800 पदों पर भर्तियां किये जाने की ज़रूरत है।

पदों के खाली रहने के कारण, मौजूदा स्टेशन मास्टरों पर काम का बोझ काफी बढ़ गया है। इसके परिणामस्वरूप उनके ऊपर मानसिक तनाव बढ़ रहा है, आराम की कमी है, कोई छुट्टी नहीं है, एक शिफ्ट में 12 घंटे काम करना पड़ता है, सभी को बढ़ती निराशा का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रभाव उनके निजी और पारिवारिक जीवन पर पड़ रहा है। कार्यभार बढ़ने के अलावा, रेलवे बोर्ड ने 43,600 रुपये से अधिक मूल–वेतन वाले कर्मचारियों के लिए रात्रि ड्यूटी भत्ता (एन.डी.ए.) देने पर भी रोक लगा दी। यहां तक कि रेलवे बोर्ड ने 2017 से दिए जा रहे भत्ते की वापस वसूली की भी कोशिश की। मज़दूरों के विरोध के चलते यह वसूली रोकनी पड़ी। एन.डी.ए. के बंद होने से सभी रेल कर्मचारियों पर इसका बुरा असर पड़ा है। 1969 के ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुसार ही, रेल कर्मचारियों को एन.डी.ए. का भुगतान किया गया था। एन.डी.ए. की सुविधा सभी कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, लेकिन जब इस मुद्दे के बारे में रेलवे बोर्ड से पूछा जाता है, तो बोर्ड का कहना है कि यह मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग आदि के पास गया है।

यद्यपि स्टेशन मास्टर 01 जनवरी, 2016 से 4200 पे–ग्रेड की संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एम.ए.सी.पी.) योजना के हक़दार हैं, बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के यह सुविधा उनको केवल 16 फरवरी, 2018 से ही दी गयी है।

स्टेशन मास्टर सुरक्षा तथा मानसिक तनाव भत्ते की मांग भी कर रहे हैं। वे 160–170 प्रतिशत की अतिरिक्त क्षमता पर ट्रेनें चलाते हैं। बंबई डिवीजन में अब चार के बजाय छह लाइनें हैं। इन लाइनों पर 1,000 की जगह 1,400 ट्रेनें चल रही हैं। इस बढ़ते कार्यभार को देखते हुए स्टेशन

शेष पृष्ठ 7 पर

पाठकों की प्रतिक्रिया

1857 के ग़दर की 165वीं सालगिरह

संपादक महोदय,

1857 के ग़दर की 165वीं सालगिरह के अवसर पर जो लेख मई के अंक में प्रकाशित किया गया है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूं। आज के वर्तमान दौर की हालतों को देखते हुए यह पूरी तरह से सच है कि अब भी वही अंग्रजों द्वारा बनाई गई नीतियों के तहत लोगों में जाति और धर्म के नाम पर फूट डालो, बांटो और राज करो के हथकंडों को ही अपनाया जा रहा है। इनके ख़िलाफ़ आज भी संघर्ष चल रहा है।

अंग्रजों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी के सरमायदारों ने देश की पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए जो तंत्र बनाया था, आज उसे सरमायदारी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चलाया जा रहा है।

यह बिल्कुल सच है कि ग़दर ने अलग–अलग धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाने के अंग्रेज हुक्मरानों के प्रयासों को नाक़ामयाब कर दिया था।

1857 से जिस ग़दर आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसकी बदौलत ही अंग्रेजों का राज ख़त्म हुआ क्योंकि उस वक्त की उपनिवेशवादी ताक़तें यह समझ चुकी थीं कि अगर हमें हिन्दोस्तान में अपना शासन क़ायम रखना है तो हमें हिन्दोस्तानी सरमायदारों के हाथ में सत्ता सौंप कर चले जाना चाहिए। और यही हुआ कि देश के बड़े पूंजीपतियों ने बड़े जमींदारों, शाही परिवारों के साथ समझौता करके, अंग्रेज सरमायदारों की जगह ले ली। पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, प्रशासन की रूपरेखा, सारे तंत्र को हिन्दोस्तानी सरमायदारों के हितों की सेवा के लिए वैसे का वैसा ही रखा गया। अगर हम, आज के समय में देखें तो पूरा साफ़ दिखता है कि पहले उपनिवेशवादी ताक़तों के समूह का राज था और आज सिर्फ 150 इजारेदार पूंजीवादी घराने, हिन्दोस्तानी लोगों पर अपनी मनमर्ज़ी को थोपते जा रहे हैं और कुछ घरानों का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशवादी ताक़तों के साथ ही रहा है।

आज भी देश के अंदर हिन्दुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का वही पुराना हथियार अपनाया जा रहा है, जिसकी चेतावनी उस वक़्त मुगल साम्राज्य के आख़िरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी समाज के लोगों को दी थी।

हिन्दोस्तान के बंटवारे के लिए अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने बहुत सुनियोजित और सोचे–समझे तरीक़े से यह झूठा प्रचार फैलाया कि 'एक धर्म के लोग ही हिन्दोस्तान के बंटवारे के लिए ज़िम्मेदार हैं', पर लेख में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि अंग्रेज साम्राज्यवादी ताक़तें ही इसके लिये ज़िम्मेदार थीं।

लेख हमें समझाने की कोशिश करता है कि हमें सामूहिक रूप से आगे आकर हिन्दोस्तान के लोगों को देश का मालिक बनाना होगा, यही बात 1857 के ग़दर की महत्वपूर्ण सीख है।

आपका पाठक
पंडित, दिल्ली

लेखों को सुनिए

प्रिय संपादक,

मैं मज़दूर एकता लहर का एक नियमित पाठक हूं। इसमें आनेवाले लेख हमें मज़दूरों और किसानों के संघर्षों की ताज़ा खबरें देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इससे अपने संघर्षों को मज़दूरों, किसानों को देश का हुक्मरान बनाने की दिशा में सही राजनीति भी मिलती है। वास्तव में यह अख़बार हमारे मेहनतकशों का और मज़दूरों–किसानों का अख़बार है।

हमारी कोशिश यही रहती है कि इस अख़बार को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाये। मेहनतकशों व किसानों को जितना ज्यादा हम समझा पाएंगे उतना ही अच्छा है। इसी दिशा में एक जो क़दम उठाया गया है वह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हमारी वेबसाईट पर "लेखों को सुनिए" नामक नया सेक्शन बना है, जहां कुछ महत्वपूर्ण लेख तथा बयान हमें आडियो के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। इससे मज़दूर एकता लहर का प्रचार और विस्तृत हुआ है।

हमें यह पता ही है कि हमारी बहुसंख्य आबादी पढ़ाई–लिखाई में कमज़ोर है। साक्षर बनाने की तमाम सरकारी योजनाओं में सिर्फ हस्ताक्षर करना ही सिखाया जाता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि इससे पढ़ने में रुचि ही पैदा नहीं होती। इन सभी तबकों तक पहुंचने का एक ज़रिया हमें इस सेक्शन के माध्यम से खुल गया है। दूसरी बात है कि दरअसल, जिसे अंग्रेजी विरासत ही कह सकते हैं, कि हमारे देश में लिखावट को बोली में बदलने वाले कई सॉफ्टवेयर अंग्रेजी के लिए उपलब्ध हैं जो कि हिंदी के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि हिन्दी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। ऐसे में ऐसी सेवा का होना ज़रूर हमारे अख़बार के विस्तार को बढ़ाएगा।

शहरों में रहनेवाले अधिकांशा मज़दूर रोज़ी–रोटी कमाने के लिए दिन में 12–12 घंटे काम करते हैं। वे काम से इतना थक जाते हैं कि पढ़ने के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेलगाड़ी और बस की खचाखच भरी भीड़ में सफर करते वक्त पढ़ना मुश्किल है पर सुनना उतना कठिन नहीं है। इस सेक्शन से उन मज़दूरों को भी मदद मिलेगी।

अन्य बात यह है कि लेखों को बहुत सरल तरीक़े से पढ़ा गया है। सही जगह ठहराव दिए गए हैं जिससे लेख सुनने में और रोचक लगता है। मेरा मानना है कि इस सेक्शन से हमारे अख़बार को और मजबूती मिलेगी।

अख़बार को और बेहतर बनाने के लिए दिन–रात मेहनत करनेवाले साथियों को लाल सलाम और मज़दूर एकता लहर को और बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद।

आपका पाठक,
सूरज, मुंबई

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) **पर जायें और साइडबार में लेखों को सुनें पर क्लिक करें।**

स्टेशन मास्टरों के संघर्ष के समर्थन में

पृष्ठ 6 का शेष

मास्टर, सुरक्षा और मानसिक तनाव भत्ते की मांग कर रहे हैं।

के.ई.सी. के महासचिव कामरेड मैथ्यू ने अपने संबोधन में इस बात पर भी ज़ोर दिया कि स्टेशन मास्टरों की मांगें रेलवे के सभी कर्मचारियों की मांगों को दर्शाती हैं। रिक्त पदों को तुरंत भरने का मुद्दा, पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के लिये और सरकारी क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। रेलवे में 3.3 लाख पद खाली पड़े हैं, जिन पर वर्षों से भर्ती नहीं की गई है। सत्ता में कोई भी पार्टी या गठबंधन हो, खाली पदों को भरने का किसी भी सरकार का कोई इरादा नहीं है। बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों को न भरने का फ़ैसला, दी जाने वाली सेवाओं के स्तर में गिरावट का कारण बनते हैं, इस गिरावट का इस्तेमाल करके सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े मज़दूरों को बदनाम करने और निजीकरण को बढ़ावा देने का मौका मिलता है। यह रणनीति न सिर्फ़ हिन्दोस्तान में बल्कि दुनियाभर में लागू की गई है। स्टेशन मास्टरों की यह लड़ाई, देश के सभी मज़दूरों और आम लोगों की लड़ाई भी है।

उन्होंने बताया कि के.ई.सी. ने कई वर्षों से रेल मज़दूरों को एकजुट करने और पूरे मज़दूर वर्ग की एकता के लिए लगातार काम किया है।

विभिन्न विभागों के संगठनों के नेताओं ने ए.आई.एस.एम.ए. को बधाई दी, अपना समर्थन देने का वादा किया तथा उन्होंने के.ई.सी. को उसके अथक परिश्रम और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

ए.आई.एल.आर.एस.ए. के कामरेड के.सी. जेम्स ने लोको रनिंग स्टाफ और स्टेशन मास्टरों सहित प्रत्येक श्रेणी में 25 से 30 प्रतिशत रिक्त पदों को न भरने से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराया। कई स्टेशनों पर चार की जगह दो ही स्टेशन मास्टर तैनात हैं। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए, दिये जाने वाले रात्रि ड्यूटी भत्ते (एन.डी.ए.) पर भी एक सीमा है। हालांकि, 1969 के ट्रिब्यूनल ने रेलवे के कर्मचारियों को बिना किसी सीमा के एन.डी.ए. देने के फ़ैसले का अनुमोदन किया था। अब रेल प्रशासन ने पहले के इन नियमों का उल्लंघन करके सीलिंग–लिमिट लागू करने का फ़ैसला लिया है। कामरेड जेम्स ने बताया कि रेलवे में काम का बोझ दिन के मुक़ाबले रात में ज्यादा होता है, क्योंकि रात में ज्यादा ट्रेनें चलती हैं।

श्री चंदन चतुर्वेदी (ए.आई.टी.सी.ए. के महासचिव) ने बताया कि ट्रेन नियंत्रकों के रिक्त पदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन के पास इसे भरने का कोई उपाय नहीं है। स्टेशन मास्टर और गार्ड्स को नियंत्रकों का काम भी करने के लिए मजबूर किया जा रहा हैं। हालात ये हैं कि हर कैटेगरी के कर्मचारियों के बीच, खाली पद पड़े हैं। हालत इतनी संगीन है कि प्रशासन एक वैकेंसी–बैंक बनाता है और फिर रिक्त पदों को भरने के बजाये उन्हें रद्द कर देता है। हाल ही में 91,000 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, 50 प्रतिशत गैर–सुरक्षा पदों को जिनको समाप्त किया जायेगा, इन पदों की पहचान की गई है।

श्री चतुर्वेदी ने सुझाव दिया कि सभी श्रेणी के फेडरेशनों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो एक सांझा एजेंडा तैयार करे और भारतीय रेल की सभी श्रेणियों को इस आम एजेंडा पर सहमती बनानी चाहिए ताकि किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की मांग किसी दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ न हो।

2021 में स्टेशन मास्टरों का धरना (फाइल फोटो)

स्टेशन मास्टरों की मांगें

1. रेलवे में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भर्तियां की जाएं।
2. सभी रेल कर्मचारियों के रात्रि–ड्यूटी भत्ते की बहाली बिना किसी सीमा के की जाए।
3. स्टेशन मास्टरों के कैडर में एम.ए.सी.पी. की सुविधा, दिनांक 16 फरवरी, 2018 के स्थान पर 1 जनवरी, 2016 से उपलब्ध कराई जाये।
4. संशोधित पदनामों के साथ कैडरों का पुनर्गठन किया जाये।
5. स्टेशन मास्टरों को ट्रेनों के सुरक्षित और समय पर संचालन में उनके योगदान के लिए सुरक्षा और मानसिक तनाव भत्ता दिया जाये।
6. रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण को रोका जाए।
7. नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए।

श्री कांता राजू (ए.आई.आर.टी.यू. के महासचिव) ने अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद, इस बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने बताया कि विभिन्न डिविजनों के ए.आई.आर.टी.यू. सदस्यों ने स्टेशन मास्टरों की हड़ताल के समर्थन में पत्र लिखे हैं। उन्होंने इस हक़ीक़त की भी सराहना की कि सभी श्रेणीवार फेडरेशनें स्टेशन मास्टरों के संघर्ष का समर्थन कर रही हैं और ट्रैक मेन्टेनर्स के लिये समर्थन का अनुरोध किया। ट्रैक मेंटेनर बहुत ही असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जिसके कारण हर दिन एक या दो ट्रैक मेंटेनर मौत का शिकार हो रहे हैं। ए.आई.आर.टी.यू. ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखे हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए हैं और अपनी मांगों को प्रधानमंत्री और रेलमंत्री को भी भेजा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने सभी श्रेणी की फेडरेशनों और के.ई.सी. से एक ऐसी बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया जहां पर लोग एक दूसरे से आमने–सामने होने वाली मीटिंग में मिल सकें और जहां रिक्त पदों और उन पदों को समाप्त किया जाना, निजीकरण और श्रम क़ानूनों में बदलाव जैसी सामान्य मांगों पर चर्चा की जा सके।

डॉ. हेमंत सोनी (आई.आर.टी.सी.एस.ओ. के महासचिव) ने बताया कि आई.आर.टी.सी.एस.ओ. के एक प्रतिनिधि ने एन.डी.ए. के संबंध में डी.ओ.पी.टी. के अधिकारियों से भी मुलाक़ात की। डी.ओ.पी.टी. के अधिकारियों ने बताया कि उनका आदेश, रेलवे पर लागू नहीं होता है। जब आई.आर.टी.सी.एस.ओ. के प्रतिनिधियों ने रेल प्रशासन से मुलाक़ात की तो रेल प्रशासन की तरफ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ए.आई.टी.सी.एस.ओ. ने तब एक क़ानूनी नोटिस जारी किया और जिसके जवाब में उन्हें बताया गया कि रेलवे बोर्ड, एन.डी.ए. का भुगतान जारी रखना चाहता है लेकिन आदेश वित्त मंत्रालय को भेज गया है। हालांकि, सवाल यह उठता है कि अगर वित्त मंत्रालय ने एन.डी.ए. को रोकने का आदेश नहीं दिया है तो रेलवे बोर्ड को एन.डी.ए. को फिर से शुरू करने के लिए वित्त मंत्रालय की अनुमति की आवश्यकता क्यों है?

डॉ. सोनी ने सभी से अनुरोध किया कि अपनी मांगों का एक संयुक्त चार्टर तैयार करके रेल मंत्रालय को देने के लिए सभी श्रेणीवार फेडरेशनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए। अगली बार, सभी श्रेणी के संगठनों को आकस्मिक सामूहिक अवकाश की सूचना देनी चाहिए। यही एकमात्र तरीक़ा है जिससे हम अपनी ताक़त को दिखा सकेंगे और अपनी मांगों को हासिल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने घोषणा की कि आई.आर.टी.सी.एस.ओ. पहली मीटिंग की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

श्री अमजद बेग (ए.आई.पी.एम.ए. के केंद्रीय अध्यक्ष) ने हमें बताया कि ए.आई.पी.एम.ए. का गठन चार मुख्य मांगों को लेकर किया गया था – नई पेंशन योजना को हटाना, पॉइंटमैन के लिए चार ग्रेड वेतन संरचना की शुरुआत, जोखिम और सुरक्षा भत्ता की बहाली और 48 घंटे की ड्यूटी का रोस्टर।

श्री नवीन कुमार (भारतीय रेलवे एस. एंड टी. मेंटेनर्स यूनियन) ने बताया कि वे अन्य नेताओं के सुझावों से सहमत हैं और सभी श्रेणी की फेडरेशनों को एकजुट होना चाहिए।

आई.आर.एल.आर.ओ. के कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय पांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें अपनी एकता को मजबूत करना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा।

सभी नेताओं के भाषण के बाद कामरेड अशोक कुमार ने कुछ वीडियो दिखाए। इन विडियो में आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.) और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.आ.ई.ई.ई.) के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कामरेड सी.जे. नंदकुमार ने 22 मई, 2022 को ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (ए.आई.एफ.ए.पी.) की होने वाली बैठक में आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.एम.ए.) के संघर्ष को अपना समर्थन दिया। इसके बाद और सहभागियों को अपने विचार रखने के लिए बुलाया गया।

श्री कामेश्वर राव (जोनल–अध्यक्ष, ए.आई.आर.ई.सी./दक्षिण मध्य क्षेत्र और संपादक, रेल–शक्ति), श्री बैद्यनाथ साहा (मंडल सचिव, ए.आई.एस.एम.ए., विजयवाड़ा, दक्षिण मध्य रेलवे), श्री शरदचंद्र पुरोहित, (महासचिव, ए.आई.एस.एम.ए., उत्तर पश्चिम रेलवे), श्री के.सी. मीणा (मीडिया प्रमुख, उत्तर रेलवेमेंस यूनियन), श्री अशोक कुमार पांडे (वरिष्ठ यातायात प्रशिक्षक, जेड.आर.टी.आई., पूर्वी तट रेलवे, मुजफ्फरपुर), श्री महेंद्र गुप्ता (ट्रैक मेंटेनर), श्री ए.एन. तिवारी (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आइस्मा), डॉ. संजीवनी जैन (उपाध्यक्ष, लोक राज संगठन) और सुश्री रिया (पुरोगामी महिला संगठन की कार्यकर्ता) ने अपने विचार व्यक्त किए।

बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्टेशन मास्टरों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने "एक पर हमला सब पर हमला है!" की भावना से परिवारों और लोगों को बड़े पैमाने पर शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बात की।

एक वक्ता ने बताया कि अधिक काम और अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण रेल कर्मचारियों पर और उनके परिवारों पर तो इसका बुरा असर पड़ता ही है परन्तु इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि रेल कर्मचारियों पर इस बोझ और मानसिक तनाव के कारण, ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा भी ख़तरे में पड़ती है। इसलिए रेल मज़दूरों के सघर्ष में करोड़ों लोगों का समर्थन जुटाना ज़रूरी है। इससे उनकी ताक़त कई गुना बढ़ जाएगी। बड़ी संख्या में खाली पदों पर नियुक्ति का न होना और ठेकाकरण, हमारी भावी पीढ़ियों सहित पूरे मज़दूर वर्ग पर एक ख़तरनाक हमला है।

एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी प्रकाश डाला गया – जब हम अपने तात्कालिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो हमें इस व्यवस्था और चुनाव प्रणाली पर भी गंभीरता से सवाल उठाना चाहिए, जिसके द्वारा चुने गए लोग, केवल नाम के लिए हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हक़ीक़त में इसके विपरीत वे कॉर्पोरेट इजारेदारों के लिए काम करते हैं और लोगों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इस व्यवस्था में हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसके द्वारा हम उन प्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जबाबदेही बना सकते हैं।

बैठक एक बहुत ही सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई, जिसमें सभी ने अपनी एकता और अधिकारों के लिए संघर्ष को मजबूत करने का एक दृढ़ संकल्प किया।

http://hindi.cgpi.org/22221

Internet Edition

Mazdoor Ekta Lehar
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 June, 2022 Date of publish - 16 June, 2022

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

मुंडका में फैक्ट्री अग्नि कांड में मज़दूरों की मौत के विरोध में प्रदर्शन

मज़दूर एकता कमेटी ने 22 मई, 2022 को मुंडका फैक्ट्री अग्निकांड में मज़दूरों की मौत के विरोध में, दक्षिण दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक ज़ोरदार प्रदर्शन आयोजित किया। इसमें अनेक युवा और महिला मज़दूरों ने दिलेरी के साथ भाग लिया।

मज़दूरों और युवा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में लिये बैनर और प्लाकार्ड बुलंद किये, उन पर लिखे नारों के माध्यम से अपनी मांगें प्रकट कीं तथा अपना गुस्सा ज़ाहिर किया। कुछ नारे इस प्रकार थे – 'मज़दूरों के हत्यारे दिल्ली सरकार और एम.सी.डी. जवाब दो!', 'पूंजीपति मालिकों और सरकारी एजेंसियों का गठजोड़ ही मज़दूरों की मौत के लिए ज़िम्मेदार है!', 'औद्योगिक दुर्घटनाओं का ज़िम्मेदार कौन – दिल्ली सरकार जवाब दो!' 'क्या मज़दूरों की जानें सस्ती हैं और सुरक्षा उपकरण महंगे हैं?', 'औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती दुर्घटनाओं के लिए सरकारी एजेंसियां ज़िम्मेदार है!', आदि। कई पोस्टरों और व्यंग चित्रों के ज़रिये, प्रदर्शनकारियों ने पूंजीपतियों द्वारा मज़दूरों के शोषण को दर्शाया।

ओखला औद्योगिक क्षेत्र में मज़दूर एकता कमेटी की सभा

ओखला औद्योगिक क्षेत्र के रिहायशी इलाकों की गलियां क्रोधित मज़दूरों के नारों से गूंज उठीं। सैकड़ों मज़दूरों ने अपने घरों से बाहर आकर, मज़दूर एकता कमेटी के कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन प्रकट किया।

कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने नुक्कड़ सभाएं आयोजित कीं और अपनी बातें लोगों के सामने रखीं।

वक्ताओं ने समझाया कि दिल्ली और देश के अनेक शहरों में प्रशासन और पूंजीपतियों की मिलीभगत के साथ, लाखों–लाखों ऐसी फैक्ट्रियां चलायी जाती हैं, जिनमें करोड़ों–करोड़ों महिला और पुरुष किसी भी प्रकार की सुरक्षा के बिना, दो वक़्त की रोटी के लिए अपनी जानों को जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। इस प्रकार के कांड वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के वहशी, अमानवीय चहरे को बार–बार सामने लाते हैं।

अग्निकांड में मारे गये मज़दूरों के खून से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के हाथ रंगे हुए हैं। सरकार और प्रशासन के उच्चतम पदों पर बैठे अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह ठहराना होगा। मज़दूर एकता कमेटी यह मांग करती है कि उन पर मुक़दमा चलाया जाना चाहिए और उनको सज़ा दी जानी चाहिए।

इस आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था की जगह पर हमें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष करना होगा, जिसमें मज़दूरों और उनके काम की हालतों को "उत्पादन के खर्च को कम करने" की नज़र से नहीं देखा जायेगा, बल्कि सभी मज़दूरों की ज़रूरतों को पूरा करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का सबसे पहला और अहम दायित्व होगा।

http://hindi.cgpi.org/22182

महंगाई का विरोध करने वाले कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं पर हमले की कड़ी निंदा करें!

30 मई को कम्युनिस्ट पार्टियों – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी–मार्क्सवादी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी–लेनिनवादी लिबरेशन (भाकपा माले–लिबरेशन) और हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, ओखला के शाहीन बाग़ पर एक प्रदर्शन आयोजित किया था।

'बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी पर संयुक्त विरोध मार्च' – इस झंडे के तले प्रदर्शनकारियों ने एकत्रित होकर ज़ोरदार नारे लगाये : "घटती आमदनी, बढ़ते दाम, महंगाई पर रोक लगाओ!", "ग़रीब–विरोधी आर्थिक नीति वापस लो!", "बेरोज़गारी पर रोक लगाओ, हर हाथ को काम दो!", "खाद्य पदार्थों, रसोई गैस, पेट्रोल, सी.एन.जी. के आसमान छूते दाम, आम जनता का जीना हराम!", "बंटवारे की राजनीति बंद करो!", इत्यादि। कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर और प्लेकार्ड पर भी इस प्रकार के नारे लिखे हुए थे।

प्रदर्शन स्थान पर भारी संख्या में पुलिस तैनात थी। जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, वैसे ही पुलिस ने उसे रोकने का आदेश दे दिया और सभी सहभागी पार्टियों के अगुवा कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर लिया। उन्हें पुलिस थाने में ले जाकर, कई घंटों तक बंद रखा गया।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार पर इस हमले की कड़ी निंदा करती है। जैसे–जैसे पूंजीपतियों तथा उनकी सरकार के सब–तरफे हमलों के ख़िलाफ़, लोगों की एकता बढ़ती जा रही है, वैसे–वैसे राज्य हमारी एकता को तोड़ने के लिए और हमें डराने–धमकाने के लिए, बंटवारे की राजनीति के साथ–साथ, दमन का प्रयोग कर रहा है।

हमें अपनी एकता को लगातार मज़बूत करते हुए, अपने संघर्षों को और तेज़ करना होगा और इस दमनकरी राज्य को मुंहतोड़ जवाब देना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22188

बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिये कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने शाहीन बाग में संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी का हिन्दी पाक्षिक अख़बार

मज़दूर एकता लहर

वार्षिक शुल्क 150 रुपये, कृपया मनीआर्डर निम्न पते पर भेजिये :
श्री मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली–110020

मज़दूर एकता लहर को मनीआर्डर से पैसा भेजने वाले सभी पाठकों से अनुरोध है कि पैसा भेजने के बाद हमें, इस नम्बर 09810167911, 9868811998 पर फोन करके सूचित करें तथा एस.एम.एस. करें। ई-मनीआर्डर भेजते समय फार्म में अपना पता पूरा और साफ-साफ भरें।

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com